

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग


क्रमांक:-प-533/नवीवि/3/99 पार्ट

जयपुर, दिनांक:-6.7.2002

: आदेश :

राजस्थान नगर पालिका भूमि-उपयोग परिवर्तन नियम, 2002 में जिला स्तरीय समिति 500 वर्गज भूमि के भूमि-उपयोग परिवर्तन करने के लिये अधिभूत है उक्त कमेटी के अध्यक्ष, जिला क्लेक्टर है। चूंकि जिला क्लेक्टर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं एवं कमेटी का आयोजन करने के लिये समय देने में कठिनाई महसूस करते हैं। अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त कमेटी की अध्यक्षता अपने-अपने क्षेत्राधिकार में नगर विकास न्यास के अध्यक्ष/मेयर, नगर निगम/अध्यक्ष, नगर परिषद/नगर पालिका करेंगे। कमेटी के क्षेत्र सदस्य यथावत रहेंगे। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाना है कि जहाँ न्यास अध्यक्ष कमेटी के अध्यक्ष होंगे वहाँ मेयर/अध्यक्ष, स्थानीय निकाय कमेटी के सदस्य होंगे। तथा कमेटी के अध्यक्ष मेयर/अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के होने की दशा में न्यास अध्यक्ष कमेटी के सदस्य होंगे।

आज्ञा से,




{ एम.एस.भारद्वाज }
शासन उप सचिव

प्रतिनिधि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवागमन कार्यवाही हेतु

प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. क्षेत्राधिकारी आयुक्त, जयपुर/उज्जैन/कोटा/जोधपुर/सदरपुर/डीवानेर।
5. जिला क्लेक्टर समस्त/ आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर/जोधपुर/कोटा।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर, को भेजकर लेख है कि समस्त नगर परिषदों/नगर पालिकाओं को अपने स्तर से सूचित करने का प्रम करें।
8. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव

(23)